संख्या -54/सीपी 42/84-2-2014-सीपी 6/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) जिलाधिकारी, मैनपुरी।
(2) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 11 फरवरी, 2014

विषय जिला उपभोक्ता फोरमों में नियुक्त सदस्य का चरित्र सत्यापन आदि कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा की रिपोर्ट संख्या-1991, दिनांक 09.01.2014 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त रिपोर्ट के दृष्टिगत कृपया श्री राजेश कुमार पुत्र श्री कालीचरण, निवासी 97, पुरानी विजयनगर कालोनी, पी0एस0 हरीपर्वत, जनपद आगरा के मूल निवास 6/12, आवास विकास कालोनी, मैनपुरी से अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन, उसका पूर्व एवं वर्तमान व्यवसाय, उसकी आयु एवं शैक्षिक अर्हताओं के सम्बन्ध में जांच कराकर अपनी आख्या निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ-226010 को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-54/सीपी 42(1)/84-2-2014, तद्-दिनांक

प्रतिलिपि - निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ-226010 को उक्त रिपोर्ट दिनांक 09.01.2014 की मूल प्रति सहित प्रेषित।

भवदीय,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in